विधान सभा
(Vidhan Sabha)

* भूमिका
* विधानसभा की रचना
* निर्वाचन पद्धति, कार्यकाल एवं योग्यताएं
* राज्य विधानमंडल या विधान सभा की शक्तियाँ
* निष्कर्ष या अवलोकन

भूमिका : विधानसभा या वैधानिक सभा जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन (द्विसदनीय राज्यों में) या लोअर हाउस (एकसदनीय राज्यों में) भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केन्द्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा दोनों सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा जिन राज्यों में दो सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधानपरिषद होंगे। इन्हें जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता है तो इसे विधानसभा कहते हैं

विधानसभा की रचना : विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है जिन राज्यों में दो सदन हैं वहाँ विधानसभा विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। 84वें संवैधानिक संशोधन 2002 के अनुसार सभी राज्यों की सदस्य संख्या 2026 तक यही रहेगी।

निर्वाचन पद्धति : आंग्ल भारतीय समुदाय को छोड़कर विधानसभा के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष आधार होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनायी गई है। जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष है वह किसी भी चुनाव मत डाल सकता है। जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं।

योग्यताएं : विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए :
(i) वह भारत का नागरिक हो (ii) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, (iii) वह किसी सरकार में लाभ के पद पर न हो (iv) वह पागल या दिवालिया घोषित न हो तथा वे विधानमंडल की सभी शर्तें पूरी करता हो।

कार्यकाल : राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यदि संकटकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अधिकतम 6 मास से अधिक नहीं होगा।

Ajanta Oxford

विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी : विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में सभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। इन दोनों का चुनाव विधान सभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसी बीच अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना आवश्यक है। विधानसभा भंग हो जाने पर भी अध्यक्ष अपने पद पर उस समय तक बना रह सकता है जब तक कि नयी विधानसभा की प्रथम बैठक न हो।

विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य

राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है —

(1) **विधायी शक्ति** : राज्य विधानसभा को उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्यसूची और समवर्ती सूची में दिये गए हैं परन्तु समवर्ती सूची के विषय पर ~~कानून निर्माण की शक्ति~~ प्राप्त है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध हो, तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होगी। कानून निर्माण की शक्ति पर निम्न प्रतिबन्ध हैं —

(i) यदि अनुच्छेद 352 या 360 के अन्तर्गत भारत में संकट काल लागू है तो ऐसी स्थिति में संसद सभी राज्यों के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है।

(ii) राज्यसभा यदि राज्यसूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाना चाहिए तो संसद धारा 249 के अन्तर्गत कर सकती है।

(iii) कुछ विधेयकों को राज्यविधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जबतक राष्ट्रपति स्वीकृति न दे दे, तबतक वे कानून नहीं बन सकता।

(iv) कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किये जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ऐसे वे विधेयक हैं जिनका संबंध राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से होता है। (अनु-304)

(v) संसद अन्तर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों को पालन करने के लिए भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

(2) वित्तीय नियंत्रण : विधानमंडल, मुख्यतया विधान सभा, को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय-व्यय के वार्षिक लेखा (बजट) विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय-व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकते हैं।

(3) प्रशासनिक शक्ति : संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित करने जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मंत्रिमंडल के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या कामरोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। यदि विधान सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है।

(4) संशोधन की शक्ति : हमारे संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाय। इस प्रकार विधानमंडल भी संविधान संशोधन कार्य में भाग लेती है।

~~विधान सभा विधानपरिषद की तुलना में~~

(5) चुनाव संबंधी कार्य : (i) विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है और यह अधिकार विधानपरिषद को नहीं है।

(ii) विधान सभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं।

(iii) विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं राज्य विधान सभा के सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष तथा दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं।

निष्कर्ष : विधान सभा प्रदेश की एक सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा है। यह विधि निर्माण होने के अलावे कार्यपालिका के कार्यों पर सतत् निगरानी का कार्य भी करती है। संसदीय लोकतंत्र में भारत के आदर्शपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज राष्ट्र में संसद एवं प्रदेश में विधानसभा सामान्य जन-जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। आज सभा की कार्यवाही को आम जन तक प्रसारित किया जाना चाहिए।

ताकि जनता संसदीय प्रणाली के संबंध में और अधिक परिपक्व किया जा सके। साथ ही ये संस्थाएं भी जनता की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बन सके।

———— x ————

राज्यों के विधानमंडल को चित्र द्वारा अवलोकन किया जा सकता है —

राज्यों के विधानमंडल

राज्यपाल

विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है

विधान परिषद

1/3 राज्य की स्थानीय स्वशासन द्वारा निर्वाचित

1/3 - राज्य की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित

1/12 - राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित

1/12 - राज्य के अध्यापकों द्वारा निर्वाचित

1/6 - राज्यपाल द्वारा मनोनीत।

विधानसभा

(जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है)

गिरिजेश सिंह, अ० प्राध्यापक
विभाग : राजनीति विज्ञान
आर.एन. कॉलेज, पंडौल, मधुबनी
वर्ग : श्रेणी-II (भ), पत्र - III
टॉपिक : विधानसभा
दिनांक : 14/05/2020